1	विभाग–	श्रम विभाग
2	योजना का नाम –	**शिक्षा सहायता हेतु छात्रवृत्ति योजना**
3	योजना संक्षिप्त टिप्पणी–	योजना का उद्देश्य उ0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत उ0 प्र0 राज्य के मूल निवासी पंजीकृत निर्माण श्रमिक को श्रमिकों के 25 वर्ष अथवा उससे कम आयु के पुत्र/पुत्रियों जो उ0 प्र0 की भौगोलिक सीमा मे स्थित (कक्षा 12 तक) अथवा बाहर देश की सीमा में स्थित किसी विद्यालय/संस्थाके किसी भी कक्षा में अध्ययनरत हों, के शिक्षा पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति किया जाना है। इसके अंतर्गत सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पुत्र/पुत्रियों जो किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/शासकीय मान्यताप्राप्त निजी विद्यालयों मे अध्ययनरत हों, के सापेक्ष किये जा रहे व्यय का वहन उ0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा किये जाने हेतु प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम दो संतान को कक्षा 1 से प्रारम्भ कर उच्चतर शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति सहायता शर्तों के अधीन मासिक दी जायेगी।
4	पात्रता की अर्हता–	ऐसे बालक एवं बालिका पात्र होंगे जिनके माता अथवा पिता बोर्ड में पंजीकृत निर्माण कर्मकार हों, ऐसा लाभार्थी उ0 प्र0 राज्य का मूल निवासी हो, ऐसे बालक/बालिका की आयु प्रत्येक वर्ष की 1 जुलाई को 25 वर्ष या इससे कम हो, शिक्षारत बालक/बालिका ऐसे शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत हों जो कि सरकार द्वारा विधिमान्य रूप से स्थापित किसी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हो।
5	आवेदन की प्रक्रिया–	उक्त सहायता प्राप्त करने हेतु लाभार्थी के पुत्र या पुत्री के सम्बन्धित कक्षा में प्रवेश सम्बन्धी विवरण के अनुसार उत्तीर्ण होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर निकटस्थ श्रम कार्यालय अथवा सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार कार्यालय अथवा सम्बन्धित खण्ड के विकास अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य से अभिप्रमाणित फोटोयुक्त आवेदन पत्र पर दो प्रतियों मे प्रस्तुत किया जायेगा जिसकी पावती आवेदक को प्रार्थना पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्राप्ति तिथि अंकित करते हुये ऑनलाईन उपलब्ध कराई जायेगी।
6	लिंक वेबसाईट	http://upbocw.in/
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के उप श्रमायुक्त से सम्पर्क किया जा सकता है।